न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं०	तारीख दायर	तारीख फैसला
145/दावा/2024(2024/51)	20.03.2024	26.06.2024

1. शम्भूदत्त आ० श्री भवानीशंकर जाति सैनी (माली) नि० ग्राम जलोदा पटवार क्षेत्र अकतासा तह० तालेडा जिला बून्दी (राज०)

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः— श्री भंवरसिंह राणावत
अधिवक्ता प्रतिवादीः— पेरोकार सरकार

— : : निर्णय : : —

वाद अन्तर्गत धारा— 88 एवं 89 आर.टी.एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 आर.टी.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि ख0सं0 137,134 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम जलौदा पटवार हल्का अकतासा तह0 तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। जिस पर वादी 30–35 वर्षो से काबिज काश्त है। वादी के नाम पर उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज की हुयी है। वादी का पी–14 में नाम कब्जेधारी की हैसियत से दर्ज है। वादी उक्त कृषि भूमि की पेनल्टी राज्य सरकार को नियमित जमा करवाता आ रहा है। वादी भूमिहीन काश्तकार है एवं वादी के पास उक्त कृषि भूमि ही एक मात्र आय का साधन है। जिससे वह अपना व परिवार का पालन पोषण करता है। वादी गत 30 वर्षो से लगातार उक्त कृषि भूमि पर खेती करता चला आ रहा है इसलिए वादी के पक्ष में उक्त कृषि भूमि का आवंटन अथवा नियमन किया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्मत है। जो भी राजस्व कर निश्चित होगा उसको वादी जमा करवाने के लिए तैयार रहेगा। वादी को प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए बेदखल किये जाने से वाद कारण लगातार उत्पन्न हो रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में कृषि भूमि ख0सं0 137, 134 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम जलौदा पटवार हल्का अकतासा तह0 तालेडा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर नियमानुसार आवंटन अथवा नियमन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो वादी को प्रदान की जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट दिनांक 27.05.2024 तहसीलदार तालेडा अनुसार वाद वर्णित आराजी भूमि ख0सं0 137 रकबा 1.3840 हैक्टे0 गै0मु0 में से 0.4856 हैक्टे0 पर व ख0सं0 134 रकबा 4.5729 हैक्टे0 गै0मु0 मे से 0.3237 हैक्टे0 रकबे पर अतिक्रमी के रूप में शम्भुदत्त आ0 भवानीशंकर जाति माली काबिज कास्त है। जमाबन्दी संवत 2076 के अनुसार ग्राम अकतासा के खाता सं. 203 नया 183 पुराना ख0सं0 542 रकबा 0.2428 हैक्टे0 नहरी I व ख0स0 578

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] 0.0800 हैक्टे0 [illegible] । में वादी [illegible] पुत्र [illegible] 1/30 [illegible] के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में जमा पेनल्टी की रसीदें, नोटिस की प्रतियाँ व नकल खसरा परिवर्तनशील पी–14 की प्रतियां पेश की।

बहस उभयपक्ष समाप्त की गई । बहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वर्णित आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर नियमानुसार आवंटन अथवा नियमन किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट अनुसार वाद वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड अनुसार सिवायचक भूमि होने, वादी के नाम ग्राम अकतासा में कृषि भूमि होने से वादी भूमिहीन की श्रेणी में नही आने एवं उक्त क्षेत्र चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जहाँ सिवायचक भूमि का आवंटन एवं नियमन उपनिवेशन अधिनियम 1951 (चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में सरकारी भूमि का विक्रय एवं आवंटन) नियम 1957 के तहत किया जाना अवगत कराते हुए वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमा पेनल्टी की रसीदे, नोटिस की प्रतियाँ व नकल खसरा परिवर्तनशील पी–14 का अवलोकन करने से वादी सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी दर्ज रिकार्ड है। वाद वर्णित आराजी भूमि खसं0 137 रकबा 1.3840 हैक्टे0 गै0मु0 व ख0सं0 134 रकबा 4.5729 हैक्टे0 गै0मु0राज ग्राम [illegible] पटवार हल्का अकतासा तह0 तालेडा राजस्व रेकार्ड अनुसार सिवायचक भूमि होने, वादी भूमिहीन कृषक नही होने एवं उक्त क्षेत्र चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जहाँ सिवायचक भूमि का आवंटन एवं नियमन उपनिवेशन अधिनियम 1951 (चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में सरकारी भूमि का विक्रय एवं आवंटन) नियम 1957 के तहत किया जाता है। अतः वाद वादी भूमिहीन कृषक नही होने एवं आवंटन नियमो के परिप्रेक्ष्य में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner